न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

~~अपील~~ संख्या प्रा.पत्र :– 227/2013

सरकार जरिये क्षेत्रीय अधिकारी विराटनगर तहत् उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. प्राथमिक शाला, ग्राम नोरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर. एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 26.3.19

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर. एक्ट के तहत् इन्द्राज दुरूस्त हेतु प्रार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गांव नवरंगपुरा तहसील विराटनगर स्थित साबिक आराजी ख.नं. 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1187/1.47 कुल किता 01 रकबा 1.47 हैक्टर वर्तमान में स्थित नोरंगपुरा में अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जबकि उक्त साबिक ख.नं. 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ती संख्या 7/100(रा.के.6) दिनांक 10/5/61 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 2 की उप धारा(1) प्रदत शक्तियों के प्रयोग में आरक्षित वन खण्ड के रूप में घोषित की गयी थी। वन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उप धारा (10) के अन्तर्गत सरकारी वन के सीमाबंधी के भीतर स्थित भूमि के किसी भी दीगर व्यक्तियों किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते। यह भूमि जमवारामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त वर्णित साबिक आराजी ख.नं. 1233/1 के रकबे में से रकबा 6 बीघा भूमि का आवंटन कर अप्रार्थी के हक में नामा. सं. 247 दिनांक 24/9/71 के द्वारा गैर खातेदारी स्वीकार कर तथा तत्पश्चात् खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी। इसलिए अप्रार्थी के नाम दर्ज की गयी खातेदारी की विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आराजीयात् की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त की जाकर प्रार्थी वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें।
2. प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को सुनवायी के लिए नोटिस जारी करवाये गये, परन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये, इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी को अलाटमेन्ट सम्बन्धि रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत देने पर उनकी ओर से तहसील कार्यालय में अलाटमेन्ट सम्बन्धी रिकॉर्ड जीर्ण–शीर्ण (अलाटमेन्ट रजिस्टर फटा) होने के कारण नकले नहीं मिलने की सूचना दी गयी, पैरोकार सरकार की ओर से जवाब रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली कराया गया।
3. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार विराटनगर) द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार करते हुए सही होना स्वीकार है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 इस प्रकार उल्लेखित करती है कि " वनों के आरक्षा या वन भूमि के बनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन किसी राज्य में तत्समय प्रवृति किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी कोई राज सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा" वन भूमि में इस प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षितवन सुरक्षित वन या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में प्रविष्ट किया गया क्षेत्र सम्मलित है। जो भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के तहत् अधि. सूचित वन भूमि भी (संरक्षक) अधिनियम की परिधी में आती है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वन खण्ड के रूप में आरक्षित व सुरक्षित रखी गयी। भूमि या गैर वन क्षेत्र के उपयोग में लाये जाने कि लिए सभी प्रावधानों व मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार की अग्रिम सहमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में वन भूमि को गैर भूमि के उपयोग में नहीं लायी जा सकती है। इस प्रकार यह प्रावधान भी वन भूमि को गैर वन भूमि के प्रयोग में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है। इससे अन्य को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इसके अलावा जब एक बार राज्य सरकार द्वारा भूमि को वन खण्ड के रूप से आरक्षित कर दिया गया तो अब उसकी गैर वन भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता एवं ना ही ऐसी भूमि किसी को आवंटन योग्य है एवं ना ही उक्त भूमि की किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत इसकी बादयता है यदि अप्रार्थीगण/यदि उनके पूर्वजो को उक्त साबिक आराजी ख.नं. 1233/1 में से कोई भूमि आवंटित की गयी है तो वह भी गलत है। क्योंकि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजीयात दिनांक 10/5/1961 के द्वारा वन खण्ड के रूप में रिजर्व की जा चुकी है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान राजस्व (कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित भूमि का इन नियमों के अधिन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28 के अधिन गठित ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमियां तथा भूमि आवंटन के किन्हीं विशेष नियमों के अधिन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां भी नियम 4 के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। उक्त प्रश्नगत भूमि वन खण्ड की भूमि के साथ अवस्थित है तथा वन खण्ड के रूप में ही उपयोग लायी जा रही है। उक्त प्रश्नगत भूमि वन खण्ड की भूमि के साथ अवस्थित है तथा वन खण्ड के रूप में ही उपयोग में लायी जा रही है। उक्त आराजीयात् काश्त नहीं हो रही है तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः रेफरेन्स मंजूर फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार विराटनगर) ने भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि वन क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित की जाने की विज्ञप्ती दिनांक 10/5/1961 का आदेश सहवन से कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की वजह से उक्त आराजियात् अप्रार्थी व अन्य को अलाट कर दी गयी तथा कालान्तर में उक्त अलाटमेन्ट आदेश की पालना ने खातेदारी प्रदान कर दी गयी। मौके पर उक्त भूमि में कोई काश्त नहीं की गयी है तथा जंगली पेड उगे हुए है।

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर गोर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का भलीभांति अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि वाके मौजा नोरंगपुरा तहसील विराटनगर राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ 7(100) आर.के. 61 दिनाक 10/5/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1939 की धरा 20 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग से दिनांक 01/7/1961 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन भूमि घोषित की गयी थी, परन्तु तत्समय वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एव अधिकारी उक्त आदेश में प्रति क्षीण मात्र भी सजग नही रहे बल्कि उनकी अकर्मण्यता एव उदासीनता से वन विभाग के लिए आरक्षित की गयी उक्त भूमि के आदेश तहसीलदार विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत करके ना तो राजस्व रिकॉर्ड मे इसका अमल कराया गया तथा ना ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। इस कारण उक्त आराजीयात् की किस्म राजस्व रिकॉर्ड मे बदस्तूर सिवायचक दर्ज रहने पर उक्त आराजी में से 6 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम अलाट कर दी गयी और पटवारी हल्का ने अलाटी के नाम गैर खातेदारी का दिनाक 04/6/1970 को नामान्तरकरण संख्या 247 दर्ज कर करीब 15 माह 20 दिन पश्चात् अलाटी का मौके पर कब्जा होना सुनिश्चित कराते हुए

राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी का नाम अंकन कर दिया। पत्रावली का भलिभांति अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि विवादित साबिक ख.नं. 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा वाके मौजा नोरंगपुरा तहसील विराटनगर राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ 7(100) आर.के 61 दिनांक 10/5/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1939 की धारा 20 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 01/7/1961 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन क्षेत्र घोषित की गयी थी, परन्तु तत्समय वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारीगण उक्त आदेश के प्रति क्षीण मात्र भी सजग नहीं रहे बल्कि उनकी अकर्मण्यता एवं उदासीनता से वन भूमि के लिए की गयी आरक्षित भूमि के आदेश तहसीलदार विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत करके ना तो राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया गया तथा ना ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने की कार्यवाही की गयी । इस कारण उक्त आराजीयात् की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तुर सिवायचक दर्ज रहने पर उक्त आराजीयात् में से 6 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम अलाटमैन्ट कर दी और पटवारी हल्का ने अलाटी के नाम गैर खातेदारी का दिनांक 04/6/1970 को नामान्तरकरण संख्या 247 दर्ज कर दिया और स्वीकार हुआ। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र दिनांक 06/3/2013 को लगभग 48 वर्ष पश्चात् न्यायालय द्वारा व हाजा में पेश किया है यद्यपि विलम का कोई युक्ति युक्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त आराजीयात् के जमवारामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड व शाहदत भी पेश नहीं की है तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थी द्वारा भू–आवंटन आदेश की किन–किन आदेशों की पालना नहीं की है। अलाटमैन्ट के आदेशों से ही अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी है। अप्रार्थी (प्राथमिक शाला) के हक में हुये आवंटन को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थी को आवंटन निरस्तीकरण बाबत सक्षम न्यायालय के यहॉ प्रार्थना–पत्र पेश करना चाहिए था। इस बाबत प्रार्थी की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में कोई दस्तावेजात् एवं साक्ष्य पेश नहीं किए है। वर्तमान में अप्रार्थी (प्राथमिक शाला) के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर मुताबिक पैरोकार सरकार रिपोर्ट कोई काश्त नहीं हो रही है। तत्समय में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त विधिक प्रकिया अपनायी जाकर छात्र एवं छात्राओं के हितो को मध्यनजर रखते हुए शिक्षा को बढावा देने के लिए उक्त भूमि अप्रार्थी (प्राथमिक शाला) के नाम अलाटमैन्ट की है, जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या एक (प्राथमिक शाला) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बिना सक्षम अधिकारी के द्वारा आवंटन निरस्त कराये बिना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी सरकार जरिये क्षेत्रिय वन अधिकारी विराटनगर उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 26.3.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)